हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)

प्रेषक

सचिव,
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,
भिवानी।

सेवा में

संस्था के मुखिया,
हरियाणा राज्य के सभी राजकीय/गैर राजकीय
सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय।

क्रमांक : 1281/शैक्षिक/ए–2 दिनांक :10.05.2023

विषयः– कक्षा दसवीं एवं बारहवीं में विद्यालय परिवर्तन/Direct Admission से संबंधित विनियमों में किए गए संशोधन अनुसार प्रवेश देने की सूचना बोर्ड कार्यालय में भेजने बारे।

पत्र क्रमांक 1241/शैक्षिक/ए–2 दिनांकः 21.04.2023 की निरन्तरता में।

महोदय/महोदया,

1. आपके सूचनार्थ लिखा जाता है कि कक्षा नौवीं एवं दसवीं तथा ग्यारहवीं एवं बारहवीं की पढ़ाई एकीकृत पाठ्यक्रम (Integrated Course) के तहत आती है। वर्णित कक्षाओं का एकीकृत पाठ्यक्रम होने के कारण किसी भी छात्र/छात्रा को कक्षा दसवीं एवं बारहवीं में वैध कारण होने पर ही विद्यालय परिवर्तन की स्वीकृति दी जानी है। यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा वैध कारण सहित कक्षा दसवीं एवं बारहवीं में विद्यालय परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में दाखिला लेने के एक महीने के अन्दर–अन्दर संबंधित विद्यालय के मुखिया द्वारा इस Circular में वर्णित दस्तावेज On-line माध्यम से बोर्ड की website: www.bseh.org.in पर दिए लिंक पर upload किए जाने हैं।
2. इसके अतिरिक्त, कक्षा दसवीं एवं बारहवीं में विद्यालय परिवर्तन करने वाले सभी छात्र/छात्रा चाहे वह इस बोर्ड के अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित होता है या अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा नौवीं एवं ग्यारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए इस बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त किसी भी विद्यालय में दाखिला लेता है तो उसका डाटा तैयार करते हुए बोर्ड की वैबसाईट पर दिए गए लिंक में option अनुसार दस्तावेज upload किए जाने हैं।

अतः सभी विद्यालयों के मुखियाओं को निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2023–24 से दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में विद्यालय परिवर्तन करते हुए प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को बोर्ड के नवीनतम प्रावधान अनुसार दाखिला दिया जाना है।

भवदीय

सहायक निदेशक, शैक्षिक
कृतेः सचिव

शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु कक्षा दसवीं एवं बारहवीं में विद्यालय परिवर्तन/Direct Admission के संबंध में बोर्ड कार्यालय को ऑन–लाईन माध्यम से भेजे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूचीः–

1. कक्षा दसवीं में दाखिला हेतु कक्षा नौवीं/दसवीं (last attended class) की अंकतालिका/रिपोर्ट कार्ड, S.L.C./T.C. की प्रमाणित प्रतियां। अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों की S.L.C./T.C. सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित सहित।
2. कक्षा बारहवीं में दाखिला हेतु कक्षा दसवीं के प्रमाण–पत्र के अलावा कक्षा ग्यारहवीं/बारहवीं (last attended class) की अंकतालिका/रिपोर्ट कार्ड, S.L.C./T.C. की प्रमाणित प्रतियां। अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों की S.L.C./T.C. सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित सहित।
3. इसके अतिरिक्त माता–पिता से नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र लेते हुए संबंधित विद्यालय द्वारा भेजा जाना है।

शपथ–पत्र (नोटरी से सत्यापित)

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..निवासी शहर/ग्राम–.................................तह.–................................जिला–.................का/की स्थाई निवासी हूँ। मैं निम्नलिखित हल्फिया ब्यान करता/करती हूँ:–

1. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री का नाम–..है।
2. मेरा पुत्र/पुत्री कक्षा नौवीं/दसवीं/ग्यारहवीं/बारहवीं में ....में (विद्यालय का नाम) पढ़ता था/पढ़ती थी।
3. अब मैं मेरे पुत्र/पुत्री का दाखिला (**Shifting because of transfer of parent(s)/ Shifting of family/ Shifting to Hostel/ Shifting from Hostel/ Re-admission due to (not qualified/not appeared in Exams/Compartment)/ Better Education/ Long Distance/ Medical Ground**) (**जो भी स्थिति हो चिन्हित किया जाना है**) के कारण से .... (**विद्यालय का नाम**) में करवाना चाहता/चाहती हूँ।
4. यह कि मेरे द्वारा दिए उपरोक्त ब्यान सही व दरूस्त है।

शपथ कर्त्ता

दिनांक: **तस्दीक**

तस्दीक की जाती है कि उपरोक्त तथ्य मेरे ईल्म वा विश्वास से सही वा दरूस्त है इसका कोई भी भाग झूठ ना है।

शपथ कर्त्ता